

: अल्पावधि विज्ञापन :

एनआरएचएम योजना के तहत व्यक्तिगत अनुबन्ध के आधार पर जीएनएम रखे जाने हेतु दिनांक-28.2.09 को जारी राज्य स्तरीय चयन सूची में निम्नलिखित आरक्षित वर्ग के अन्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण शेष रहे बैकलॉग को भरे जाने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 (यथा संशोधित नियमों) में उल्लेखित योग्यताधारियों से आवेदन पत्र आनंदित किये जाते हैं:-

रिक्त पदों का विवरण

क्र सं	वर्ग	रिक्त पदों की संख्या
1	अनुसूचित जाति	21
2	अनुसूचित जनजाति	21
3	अनुसूचित जाति (टीएसपी)	14
4	अनुसूचित जनजाति (टीएसपी)	265
5	सहरिया	35
कुल रिक्त पद		356

नोट- (1) टी.एस.पी. क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा जनजाति उपयोजना क्षेत्र के रूप में अधिसंचित जिले/तहसील शामिल है।

(2) सहरिया क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित बांस जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील शामिल हैं।

(3) विज्ञापित जीएनएम की संख्या को घटाने अथवा बढ़ाये जाने का विभाग को पूर्ण अधिकार होगा।

योग्यता-

शैक्षणिक:- सीनियर हायर सेकंडरी (10+2) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण

तकनीकि:-1- RNRC or its equivalent Qualification Recognized by Govt

2- Registered "A" Grade Nurse

आय सीमा-

अ-न्यन्तम् आय 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

ब—अधिकतम आय ($35+5$) 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

स-महिला अभ्यर्थियों को नियमानुसार (35+5+5) 10 वर्ष की छूट देय होगी।

द-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हआ हो। जिसकी सत्यापित प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

य-विधवा एवं तलाकशदा महिलाओं के लिए कोई अधिकतम आय सीमा नहीं होगी।

लुपरोक्त के अतिरिक्त अन्य मामलों में आयु सीमा में छूट राज्य सरकार के नवीनतम आदेशों के अनसार देय होगा।

नोट:- आय सीमा की गणना 01.01.10 को आधार मानकर की जावेगी।

मानदेय —

सामु0स्वाठकेन्द्र / प्राठस्वाठकेन्द्र पर रखे जाने वाले जीएनएम के लिये	4500 / -रुपये प्रतिमाह (फिक्स)
सामान्य क्षेत्र में स्थित उप स्वाठकेन्द्रों पर रखे जाने वाले जीएनएम के लिये (4500+1500*)	6000 / -रुपये
दुर्गम क्षेत्र में स्थित उप स्वाठकेन्द्रों पर रखे जाने वाले जीएनएम के लिये (4500+1500+1000**)	7000 / -रुपये

* यामीण भरता

** दर्गम क्षेत्र कार्यभृता

ग्रामीण भृत्या एवं दुर्गम क्षेत्र कार्यभृत्या तभी देय होगा जब जीएनएस 24 घण्टे मुख्यालय पर रहेगा तथा राष्ट्रीय कार्यकर्मों के पूर्ण किये जाने हेतु आवंटित लक्ष्य एवं दी गई जिस्मेदास्तिंशों का शत प्रतिशत तत्परता से निर्वहन करेगा।

व्यक्तिगत अनुबन्ध पर घयन हेतु अन्य शर्तें निन्न प्रकार हैं :-

- प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत अनुबन्ध अवधि दिनांक—31.3.10 तक होगी। अगले वित्तीय वर्ष के लिये उनका व्यक्तिगत अनुबन्ध इनके कार्यव्यवहार एवं अनुबंधित सेवाएं संतोषजनक होने पर ही नवीनीकरण योग्य होगा।
 - आदेक के 01.06.02 को या इसके पश्चात तीसरी मत्तान होने पर व्यक्तिगत

ब्रह्म द्वारा

— अमर्यार्थ का चाहि सेवित के अवधार प्रद दिया जानेगा। सेवित का अवधार दिया

सीनियर हाथर सैकड़ी (10+2) अथवा सभक्ष योग्यता की अंक तालिका में प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत एवं जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण कोर्स की समस्त वर्ष की अंक तालिकाओं में प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत अंकों को अध्यार नामकर औसत निकाला जावेगा।

शुल्क— 50/- रुपये (अक्षरे पचास रुपये मात्र)
 आवेदनकर्ताओं को उपरोक्तानुसार निर्धारित शुल्क राशि का डॉ.डी. अथवा पोरस्टल आईर संस्थान करने अनिवार्य है, जो आठरुण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, चिकित्सा एवं स्थास्य सेवाएं, याज० यज्ञपुर को देय होगा। शुल्क के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त समझा जायेगा।

卷之三

इच्छुक अधर्थी को अपना आवेदन पत्र मय वांछित समस्त प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छाया प्रतियों के दिनांक-**31.7.09** को साथ 6.00 बजे तक अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), शिकित्सा एवं स्नानशय सेवाएँ, राज० जयपुर को रेजिस्टर्ड डाक/स्प्रिंड पोस्ट से भिजवाया जाना है। निश्चिति समय एवं तिथि के प्रशान्त अथवा अपूर्ण प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार

नहीं करना जाहिर है। आवेदन पत्र के लिएके पर, “एनआरएचएम / जीएनएस-2009 हेतु आवेदन पत्र” अंकिय किया जाना अनिवार्य है।

二十一

1. व्यवितागत अनुबन्ध लिये जाने हेतु निर्धारित राशि के नीन ज्यूडिशियली स्टाम्प पेपर उपयनित अम्बर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा, जिस पर अनुबन्ध का निर्धारित प्रपत्र टंकित कर संबंधित प्रशासनिक अधिकारी एवं चयनित अध्यर्थ के हस्ताक्षर हों।
 2. व्यवितागत अनुबन्ध सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / उप स्वास्थ्य केन्द्र विशेष के लिये ही किया जावेगा।
 3. सामान्य क्षेत्र एवं दुर्घान क्षेत्र में स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची संबंधित मुख्य विकित्ता एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध है।
 4. एनआरएचएम योजना के तहत पूर्ण में अनुबन्धित जीएनएम इस विज़िटि में आवेदन प्रस्तुत किये जाने के पात्र नहीं होंगे तथा अध्यर्थ को उक्त आवाय का शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा, कि उसके द्वारा पूर्ण में एनआरएचएम योजना के तहत जीएनएम की सेवाएं दिये जाने हेतु कोई अनुबन्ध नहीं किया है।
 5. जीएनएम को पदस्थापित स्थान (सायुष्यस्वास्थ्य केन्द्र / प्रायोगिक स्वास्थ्य केन्द्र-सुव्यालय) पर 24 घण्टे रहना अनिवार्य होगा।
 6. उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर पदस्थापित जीएनएम को १०५०००००० का कार्य भी करना

(ओटीपी युपा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान जयपुर

एनआरएचएम योजना के तहत जीएनएम हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप—वर्ष 2009

- 1— आवेदक का नाम _____
- 2— पिता का नाम _____
- 3— पति का नाम (विवाहित महिला के लिये) _____
- 4— स्थाई पता _____
- 5— पत्र व्यवहार का पता _____
- 6— जन्मतिथि दिनांक _____ माह _____ वर्ष _____
(सैकण्डरी के प्रमाण—पत्र के आधार पर)

7— जातिवर्ग _____
(जाति प्रमाण—पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ हो)

8— विकलांगता (केवल ३०एल० श्रेणी) का विवरण (यदि हो)
(सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)

9— शैक्षणिक/ तकनीकी योग्यता का विवरण :-
(अ)

शैक्षणिक योग्यता	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
सैकण्डरी					
सीनियर सैकण्डरी (10+2)					
स्नातक					
स्नातकोत्तर					

(ब)

तकनीकी योग्यता	संस्था का नाम जहाँ से प्राप्त की गई	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
			प्रथम वर्ष		
			द्वितीय वर्ष		
			तृतीय वर्ष		
			चतुर्थ वर्ष		

तकनीकी योग्यता के सभी वर्षों का योग—

- 10—राजस्थान नर्सिंग कॉसिल का पंजीयन क्रमांक _____
- 11— डी.डी./पोस्टल आर्डर का क्रमांक एवं दिनांक _____
- 12— दिनांक 01.06.02 को एवं इसके पश्चात् जीवित संतानों की संख्या _____

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

- 1— मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में वर्णित सभी विवरण, तथ्य एवं संलग्न पत्रादि पूर्ण रूप से मेरी ज्ञानकारी में सही है तथा मेरे कोई तथ्य नहीं छिपाया है।
- 2— मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि पूर्व में जीएनएम की सेवाएँ दिये जाने हेतु किसी भी जिला स्वास्थ्य समिति से मेरे द्वारा कोई व्यक्तिगत अनुबन्ध नहीं किया गया है।
- 3— यदि यथन पश्चात उक्त तथ्य गलत पाया जाता है, तो विभाग अनुबन्ध निरस्त करते हुये मेरे विरुद्ध दाखिल कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतन्त्र होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान:-

दिनांक:-

नोट:- सभी प्रमाण पत्रों एवं अंकतालिकाओं की सत्यापित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है।
आवेदक उपरोक्त प्रारूप को टाईप/कम्प्युटरइंजड करवाकर काम में लेवे।